

फर्द अहकाम

सु.नं. 59/11

तारीख रज् 8/8/11

उनवान - चौधरी बनाम हरेती कौं.
 दावा - बावत स्थाई निवेधाना एवं तज्मा
 दादी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट
 ने दावा बावत स्थाई निवेधाना एवं तज्मा
 पेश किया। अवलोकन किया गया। दावा
 रजिस्टर करे। प्रतिवादी जरिये शम्भन
 लख कर पत्रावली दिनांक 23-8-11 को पेश
 हो।

26-58-64
 8/8/11

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (कौली)

23/8/11 को वकील उपस्थित। प्रतिवादी
 उसे 7 की कोर से शुक्रवार को एड. के
 वकालतनामा पेश कर जवाब को समय चले।
 प्रतिवादी को 1, 2, 8 की कोर से बावत
 सूचना कोई उपस्थित नहीं। उनके पत्र
 एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाना है।
 कोर जवाब दावा प्रतिवादी सं. उसे 7 को
 19/9/11 को पेश हो।

19/9/11 को वकील उपस्थित। कोर जवाब
 दावा प्रति. सं. उसे 7 को 08/10/11
 को पेश हो। (8-11-11)

दि	दिनांक	फर्द अहकाम
6.	28.5.15	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर जैल में पेश हुई। वादी की कोरसे रूपारित पुत्र योधी व सुखमंती who योधी उपस्थित उपस्थित हुए। योधी की मृत्यु हो जाने का कथन करते हुए योधी की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश किया। वर्तमान जमाबंदी की नकल पखारो हल्का से ग्राह की गई। मुताबिक जमाबंदी वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 676, 677, 678, 679 वादी द्वारा विद्युत किया जा चुका है जब वादपत्र में वर्णित डगराजीपात में वादी एवं उसके कायम मुकामत का हिल बह नहीं रहे हैं इसलिए दावा खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फेल्ल शुभार होका नम्बर से काम होकर दारिखत दफ्तर है।</p>
2.		
2.		

उप जिला कलेक्टर
टोडा (कॉलेज)